

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक ४४ / त.शा.-2/F-116/2020-21/ प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2021  
//आदेश//

अटल नगर, दिनांक २६/०६/२०२१

शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के निर्देशानुसार अप्रेंटिस एक्ट 1961 (यथा संशोधित) की धारा-8 (3ए) के तहत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उपलब्ध मेरिट सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को 01 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति दर पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु चयन कर आदेशित किया जाता है :-

क्रं.	प्रशिक्षु का नाम	मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त इनरॉलमेंट नंबर	श्रेणी	डिग्री/ डिप्लोमा	कार्यालय का नाम
<b>सिविल इंजीनियरिंग</b>					
1.	कु. गीता सिंह	WCTG001180700105	अ.ज.जा.	डिग्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायपुर
2.	श्री जी. अभिषेक	WCTD001201100009	सामान्य	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दुर्ग
3.	श्री लव कुमार डनसेना	WCTD001201100008	सामान्य	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायगढ़
4.	श्री इंद्रजीत कुर्रे	WCTD001180700092	अ.जा.	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड जांजगीर-चांपा
5.	कु. मधु दीवान	WCTD001200600020	अ.ज.जा.	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड महासमुंद
<b>कम्प्यूटर इंजीनियरिंग</b>					
6.	कु. प्रतिभा नेताम	WCTG122190400252	अ.ज.जा.	डिग्री	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जगदलपुर
7.	कु. गामिनी देशमुख	WCTD122190500001	सामान्य	डिप्लोमा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड दुर्ग
8.	श्री यशवंत कुमार	WCTD122190700013	सामान्य	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
<b>मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट</b>					
9.	कु. माधुरी देवांगन	WCTD813190600004	सामान्य	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
10.	कु. प्रतिमा तिग्गा	WCTD813190400001	अ.ज.जा.	डिप्लोमा	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जगदलपुर
11.	श्री सुमेश टंडन	WCTD811201100001	अ.जा.	डिप्लोमा	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

उपरोक्त चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है -

- आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा। निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर चयन निरस्त किया जावेगा।
- प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 यथा संशोधित में उल्लिखित समस्त शर्तें लागू होंगी।
- उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षु मण्डल द्वारा अनुबंध सृजन (Contract creation) हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा। सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा।
- प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनिकी संधारित किया जाना होगा।
- प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति के रूप में रु. 9000.00 प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी को रु. 8000.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- छात्रवृत्ति भुगतान उपरान्त बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
- प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवं 15 मेडिकल अवकाश की पात्रता रहेगी तथा समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होना निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृत्ति की राशि जमा करनी होगी।
- प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई प्रमाण पत्र मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त होगा।





अधीक्षक अभियंता एवं  
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क. 4115 / त.शा.-2 / F-116 / 2020-21 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2021 अटल नगर, दिनांक 26/06/2021  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालाय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 139 दिनांक 09.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि पत्र में उल्लेख अनुसार संशोधित अनुपात अनुसार 19 प्रशिक्षुओं के कोटे को पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता/कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र/खण्ड .....की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित है, कि कृपया संबंधित प्रशिक्षु की उपस्थिति निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समयावधि पश्चात् संबंधित की उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षु की उपस्थिति पश्चात् हर माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति का भुगतान करें साथ ही विभागीय वेबसाइट की निर्धारित लिंक/महत्वपूर्ण लिंक में प्रशिक्षु मॉड्यूल में जाकर प्रशिक्षुओं से संबंधित समस्त जानकारी अपडेट करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
6. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें।
7. कु./श्री/श्रीमती.....ट्रेड.....की पता.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर चयन निरस्त किया जा सकेगा। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जायेगा दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।
8. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार क्रमांक 07 के लिये।

प्रारूप प्र.अ. द्वारा अनुमोदित।

  
अधीक्षण अभियंता एवं  
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर  
  
26.6.21